भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *322

18 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड

***322. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में प्रति व्यक्ति सुनिश्चित/प्रदान किए गए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त संघ राज्यक्षेत्रों में उक्त अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित पात्रता मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त संघ राज्यक्षेत्रों में वार्षिक आय पात्रता सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उक्त वार्षिक आय सीमा कब तक बढ़ने की संभावना है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ड.) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

लोक सभा में दिनांक 18.12.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 322 (दूसर स्थान) के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार, जो निर्धनतम से निर्धन हैं, 35 कि.ग्रा. निःशुल्क खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त करने के पात्र हैं और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) 5 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं।

यह अधिनियम दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव के संघ राज्य क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। यह अधिनियम दादरा और नगर हवेली (सिलवासा नगर निगम और दादरा पंचायत) के शहरी क्षेत्रों में नकद अंतरण मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें खाद्य सब्सिडी के समतुल्य नकद (अर्थात् चावल के लिए 43.28/- रुपए प्रति कि.ग्रा. और चावल के लिए 28.44/- रुपए प्रति कि.ग्रा.) लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे ही भेजा जाता है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव के शेष भाग में लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्नों का वितरण निम्नानुसार किया जा रहा है:-

लाभार्थियों की श्रेणी	**खाद्यान्नों की मात्रा (कि.ग्रा. में)**		
	चावल	**गेहूं**	**कुल**
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)	33.00	2.00	35.00
प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच)	4.50	0.50	5.00

(ख) : इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार उक्त योजना पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के लिए निर्धारित लाभार्थियों की अधिकतम सीमा के भीतर, केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले परिवारों की पहचान करेगी और शेष परिवारों को राज्य सरकार द्वारा स्वयं तैयार किए गए ऐसे दिशा-निर्देशों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवर किए जाने वाले प्राथमिकता वाले परिवारों के रूप में चिह्नित करेगी। इस अधिनियम के तहत दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र में लाभार्थियों को चिह्नित करने के लिए पात्रता मानदंड **अनुबंध** में संलग्न हैं।

(ग) : अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) की पहचान करने के मापदंड संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(घ) और (ड.) : इस अधिनियम के तहत संघ राज्य क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के लिए इच्छुक आवेदकों के नाम पर मौजूदा पात्रता मानदंड के अनुसार विचार किया गया है और कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। चूंकि दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित सीमा के अनुसार, खाद्य सुरक्षा के लिए इच्छुक और लाभार्थियों को भी समायोजित किया जा सकता है, परंतु ऐसे किसी आवेदक की मांग लंबित नहीं है। वर्ष 2023-2024 में, नए राशन कार्ड के लिए कुल 1163 आवेदन प्राप्त हुए थे और एनएफएसए अनुमोदित के तहत 1143 लाभार्थियों को शामिल किया गया था। एक लाख रुपए से अधिक की आय के आधार कोई भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया गया था।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 18.12.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 322* के भाग (ख) उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों की पहचान हेतु मानदंड

समय-समय पर अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) स्कीम के दिशानिर्देशों में एएवाई परिवारों की पहचान हेतु निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं :-

(क): ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत किसान, ग्रामीण दस्तकार/शिल्पी जैसे कुम्हार, मोची, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले और अनौपचारिक क्षेत्र में दिहाड़ी आधार पर जीविका अर्जित करने वाले व्यक्ति जैसे कि बोझा ढोने वाले, कुली, रिक्शाचालक, हाथठेला चालक, फल और फूल विक्रेता, सपेरे, कबाड़ी, मोची, निराश्रित और इसी प्रकार की अन्य श्रेणियां;

(ख): वे परिवार जिनकी मुखिया विधवा अथवा असाध्य रोग ग्रस्त व्यक्ति/दिव्यांग व्यक्ति/ 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति, जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है अथवा जिन्हें सामाजिक सहायता प्राप्त नहीं है;

(ग): विधवाएं अथवा असाध्य रोग से ग्रस्त अथवा दिव्यांगजन अथवा 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति अथवा अकेली महिला या अकेला पुरुष जिन्हें कोई पारिवारिक अथवा सामाजिक समर्थन प्राप्त नहीं है या जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है।

(घ): सभी आदिम आदिवासी परिवार;

(ङ): एचआईवी पॉजीटिव व्यक्तियों के पात्र बीपीएल परिवार।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 18.12.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 322* के भाग (ख) उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव में एनएफएसए के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएस) की पहचान हेतु मानदंड।

शामिल करने हेतु मानदंड	छोड़ने हेतु मानदंड
1. गरीबी रेखा से नीचे वाले सभी परिवार 2. सामाजिक और व्यावसायिक रूप से कमज़ोर समूह:- (क) सभी बेघर परिवार। (ख) अकेली महिला (अविवाहित/अलग हो चुकी/परित्यक्त)। (ग) सभी अनुसूचित जनजाति परिवार। (घ) सभी अनुसूचित जाति परिवार। (ड.) सभी भूमिहीन कृषि श्रमिकों के परिवार। (च) दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में 1.00 एकड़ और शहरी क्षेत्र में 900.00 वर्ग फुट (अर्थात् 83.361 वर्ग मीटर) भूमि वाले सभी किसानों के परिवार। (छ) असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) के प्रावधानों के तहत असंगठित श्रमिक के रूप में सभी पंजीकृत व्यक्तियों के परिवार। (ज) सभी निराश्रित समूहों जैसे मछुआरा, कबाड़ी, अकुशल निर्माण मजदूर, कुम्हार, दिहाड़ी मज़दूर, दैनिक आधार पर काम करने वाले घरेलू मजदूर, रिक्शाचालक, छोटे घरेलू उद्यमों में काम करने वाले अकुशल कामगार, घरेलू उद्योगों में काम करने वाले अकुशल कामगार, स्वीपर/सफाई कर्मचारी, दिव्यांग व्यक्तियों आदि के परिवार। (झ) ट्रांसजेंडर। 3. कच्चे मकानों में रहने वाले सभी परिवार।	1. 1,00,000/- रुपए से अधिक की वार्षिक आय वाले सभी परिवार। 2. आयकर का भुगतान करने वाले सभी परिवार। 3. ऐसे परिवार जिनके किसी सदस्य के पास आजीविका के लिए अधिकतम एक कमर्शियल वाहन के अतिरिक्त चार पहिये वाला वाहन अथवा भारी वाहन हो। 4. भारत सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों अथवा उनके बोर्डों/निगमों/ उद्यमों/उपक्रमों, अन्य स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों जैसे कॉलेज, नगर परिषदों आदि के सभी सरकारी कर्मचारी (संविदा/दैनिक वेतनभोगी के अतिरिक्त)।

****